बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/वि०3–27/2015 389 पटना, दिनांकः 29.11.17

कार्यालय आदेश

श्री शिवशंकर सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी नोखा, रोहतास के विरूद्ध खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति में बरती गयी अनियमितता /गबन के लिए जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्र संख्या 38(मु०)/आ० दिनांक 22.04.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 132 सहपठित ज्ञापांक 751 दिनांक 16.06.2015 द्वारा श्री शिवशंकर सिंह पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । प्रपत्र 'क' में श्री शिवशंकर सिंह के विरूद्ध गठित आरोप मे निम्नलिखित आरोप लगाये गये है:–

1 रब्बी विपणन मौसम 2012–13 में आपकी प्रतिनियुक्ति नोखा क्रय केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में आदेश ज्ञाप संख्या 688 दिनांक 27.04.2012 द्वारा की गई थी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास से दिनांक 12.04.2015 के प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त क्रय केन्द्र पर आपके द्वारा 56486.00 क्वींटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी , जिसमें से 55542.85 क्वींटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 943.15 क्वींटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भंडारित थे । विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की नीलामी की गई। नीलामी के पश्चात नीलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया, परन्तु उक्त क्रय केन्द्र पर गेहूँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण नीलामकर्त्ता द्वारा गेहूँ का उठाव नही किया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते अधिप्राप्त अवेशेष गेहूँ की सुरक्षा के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, जिसके संबंध में निदेश आदेश ज्ञाप संख्या 688 दिनांक 27.04.2012 द्वारा संसूचित है, परन्तु आपने इसका निर्वहन नही किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा जानबूझकर निजी लाभ के लिए अवशेष 943.15 क्वींटल गेहूँ की बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया।

इस सबंध में आपसे पत्रांक 862/आ०, दिनांक 15.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी, परन्तु दूरभाष पर उसकी सूचना देने के बावजूद भी आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया गया। इस प्रकार आपके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना की गई।

इस प्रकार स्पष्ट है आपके द्वारा निजी लाभ के लिए 943.15 क्वींटल जिसका मूल्य प्रति क्वीटल 1426.04 रू० की दर से 1344969.62 रू० गबन कर लिया गया है तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई। आपका यह कृत बिहार सरकारी

सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 3(1) का (i), 3(1) का (ii) एवं 3(1) का (iii) का उल्लंधन है तथा इसके लिए आप दोषी है।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक 06(मु०)/वि०जॉ० दिनांक 15.05.2017 द्वारा श्री शिवशंकर सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने आरोपी श्री शिवशंकर सिंह के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारीके मंतव्य के समीक्षोपरान्त निष्कर्ष दिया है कि '' अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम का आदेश ज्ञापांक 688/आ०, दिनांक 27.04.2012 के द्वारा श्री सिंह को रब्बी विपणन मौसम 2012–13 में नोखा क्रय केन्द्र पर क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। उक्त क्रय केन्द्र पर इनके द्वारा 56486.00 क्वीटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसमें से 55542.85 क्वींटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराय गया तथा शेष 943.15 क्वींटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भंडारित था। विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की नीलामी की गई। नीलामी के पश्चात नीलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया, परन्तु उक्त क्रय केन्द्र पर गेहूँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण नीलामीकर्त्ता द्वारा गेहूँ का उठाव नहीं किया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते अधिप्राप्त अवशेष गेहूँ की सुरक्षा के लिए इनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी परन्तु इन्होनें इसका निर्वहन नहीं किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन्होनें जानबूझकर निजी लाभ के लिए 943.15 क्वींटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्वींटल 1426.04 रूपया की दर से मो० 1344969.62 रूपया होता है, बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया।

आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण/अभिकथन में भंडारण एवं उठाव की अपर्याप्त व्यवस्था के संबंध में पत्राचार करने का दावा अवश्य किया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी का सम्यक निर्वहन नहीं किया है।

इस तरह श्री शिवशंकर सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नोखा पर प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप सत्य प्रमाणित होता है।''

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 1603 दिनांक 24,07,2017 द्वारा श्री शिवशकर सिंह से अभ्यावेदन की मॉग की गयी।

4. उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन साक्ष्यों के साथ दिनांक 22.08.2017 को प्राप्त हुआ । समर्पित अभ्यावेदन में श्री सिंह द्वारा उन्हीं तथ्यों को दिया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिया गया था। इसके साथ इन्होने यह भी बताया है कि नीलाम पत्र वाद सं० –28/2015–16 का गठन भी किया गया। श्री सिंह द्वारा गबन की गई गेहूँ को स्वीकार करते हुए उसकी राशि 13,44,970.00 (तेरह लाख चौवालीस हजार नौ सौ सत्तर)रूपये को डिमांड ड्राफ्ट संख्या 649678 के द्वारा दिनांक 22.02.2016 को बिहार राज्य खाद्य निगम, रोहतास के नाम जमा किया गया है।

5. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री शिवशंकर सिंह पर 943.15 क्वींटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्वींटल 1426.04 रू० की दर से 1344969.62 रू० (तेरह लाख चौवालीस हजार नौ सौ उन्हत्तर रूपये बासठ पैसे) होता है, का गबन करने का आरोप प्रमाणित होता है, जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 3(1) का (i), 3(1) का (ii) एवं 3(1) का (iii) का उल्लंधन है।

6. अतः श्री शिवशंकर सिंह तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नोखा प्रखंड –सह– क्रय केन्द्र प्रभारी नोखा, रोहतास पर गबन का उक्त आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उनपर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/–
पूनम
(निदेशक)

ज्ञापांक :– स्था०1/वि०3–27/2015 पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास/बक्सर।
3. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/बक्सर।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी प्रखंड, बक्सर।
5. श्री शिवशंकर सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नोखा प्रखंड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सिमरी प्रखंड, बक्सर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/वि०3–27/2015 2665 पटना, दिनांक : 29.11.17

प्रतिलिपि :– श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब साईट पर डालने हेतु प्रेषित।

29/11/17
निदेशक